संख्या-43/2026/839जे0/22-5-2026-300(52)/2017-ई-1848833

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-5 **लखनऊ: दिनांक 16 जुलाई, 2026**

विषय- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मानवेन्द्र सिंह पुत्र श्री बलवन्त सिंह का उपचार/आपरेशन आई0एम0एस0, बी0एच0यू0, वाराणसी में कराये जाने हेतु धनराशि रू0 1,70,000/- (रुपये एक लाख सत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-25933/सामा-1(3)/11/वारा0परि0/ब0चि0धना0-मानवेन्द्र/26, दिनांक 08-07-2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मानवेन्द्र सिंह पुत्र श्री बलवन्त सिंह का उपचार/आपरेशन आई0एम0एस0, बी0एच0यू0, वाराणसी में कराये जाने हेतु धनराशि रू0 1,70,000/- (रुपये एक लाख सत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करतीं हैं :

1- उक्त बंदी का उपचार आई0एम0एस0, बी0एच0यू0, वाराणसी में ही कराया जायेगा तथा उपचार के उपरान्त यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो उसे नियमानुसार राजकोष में जमा करा दिया जाय।
2- बंदी का उपचार कारागार विभाग द्वारा कराया जाना उसके जीवन रक्षा के लिए अपरिहार्य एवं आवश्यक है तथा उसके शीघ्र ही कारागार से रिहा होने की कोई सम्भावना न हो। बंदी के उपचार के सम्बन्ध में उपलब्ध कराये गये समस्त तथ्यों की जिम्मेदारी केन्द्रीय कारागार, वाराणसी की होगी।
3- यह भी सुनिश्चित करें कि वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों तथा समय-समय पर जारी शासन के संगत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जाय तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।
4- उक्त बंदी के उपचार के उपरान्त व्यय धनराशि के प्रमाणित बिल की प्रति शासन को उपलब्ध कराया जाय।

2- उक्त के निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2026-2027 के अनुदान संख्या-25, लेखाशीर्षक-2056-जेलें-आयोजनेत्तर-101-जेल-03-समस्त कारागार के मानक मद संख्या-42- अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा तथा उपलब्ध बजट प्राविधान से वहन किया जायेगा।

--2

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैअतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ई-12-251/दस-2014-01/2014, दिनांक 13-08-2014 में दिये गये निर्देशों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(कमलेश कुमार)
उप सचिव।

संख्या:43/2026/839जे0(1)/22-5-2026, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश,प्रयागराज।
2- जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी।
3- मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
5- वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग-12।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(अभय कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैअत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती